

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 23265 / 6529

दिनांक :- 07/01/2021

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सीमा बंसल [लिंक न. 23265] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ईएसआई) विभाग, जयपुर - [1180] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/11/2019 से 13/12/2019 तक 19 दिवस

कुल 19 दिवस

उक्त कुल 19 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सीमा बंसल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 23265 / 6529

दिनांक :- 07/01/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ईएसआई) विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सीमा बंसल [23265] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ईएसआई) विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)